गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.01.2020 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.01.2020 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
3.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
4.	प्रो0 व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
5.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
6.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
8.	प्रो0 एम.व्ही.के.एस. भास्कर	सदस्य
9.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
10.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
11.	प्रो0 डी.एन. सिंह	सदस्य
12.	प्रो0 टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
13.	प्रो0 ए.एस. रणदिव	सदस्य
14.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
15.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
16.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

01 प्रो0 पी.के. बाजपेयी

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.12.2019 एवं आपात बैठक दिनांक 21.01.2020 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.12.2019 एवं आपात बैठक दिनांक 21.01.2020 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 एम.बी.बी.एस. अंतिम, भाग–एक की परीक्षा में छात्र–अविनाश देशलहरा एवं देवेन्द्र बहादुर चन्द्रा (सत्र 2007–08) को पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति देने संबंधी।

विचारोपरान्त स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि छात्र–अविनाश देशलहरा एवं देवेन्द्र बहादुर चन्द्रा (सत्र 2007–08) को पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी जाय कि यदि उक्त दोनों छात्रों की परीक्षा आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर आयोजित करें, उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य एवं परीक्षा परिणाम भी आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर करें तथा उपाधि भी आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर

द्वारा प्रदान की जाये तो इस विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं होंगी बल्कि संबंधित छात्रों के परीक्षा के वे अभिलेख, जो इस विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, मूलतः आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर को हस्तगत किये जाने पर भी इस विश्वविद्यालय को आपत्ति नहीं होगी।

विषय क्र. 03 **स्वस्थ्य भारत आंदोलन हेतु कार्य योजना।**

समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्थायी समिति सैद्धांतिक रूप से सहमत है तथा प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रशासनिक अनुमति प्रदान की जाये।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि वित्तीय अनुमति सुसंगत प्रस्तावयुक्त नस्ती पर यथा समय नियमानुसार प्रदान की जाय।

विषय क्र. 04 **शोध उपाधि के शीर्षक द्विभाषी तथा पीएच.डी. की अधिसूचना के प्रारूप का निर्धारण करने विषयक।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अन्य विश्वविद्यालयों के फॉर्मेट एवं विश्वविद्यालय के विनियम के प्रावधानों के प्रकाश में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु इस विषय को आगामी बैठकों के लिए स्थगित रखा जाय।

विषय क्र. 05 **सी.बी.सी.एस. प्रणाली के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व प्रकाशित अध्यादेशों के विभिन्न प्रावधानों में गंभीर विसंगतियां एवं कार्यान्वयन में परिलक्षित कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि इस विषय को आगामी बैठकों के लिए स्थगित रखा जाय।

विषय क्र. 06 **श्रीमती उज्वला अम्बस्थ द्वारा अंग्रेजी विषय के शोध उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध ग्रंथ के मूल्यांकन पश्चात् मुल्यांकनकर्ता के अनुशंसा अनुसार शोध ग्रंथ के निरस्तीकरण के विचार करने हेतु।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रकरण के विभिन्न बिन्दुओं पर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने हेतु एवं प्रभावी नियमों/प्रावधानों के प्रकाश में यथोचित अनुशंसा प्रस्तुत करने समिति गठित की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य नामित करने हेतु कुलपति महोदया स्थायी समिति की ओर से अधिकृत रहेंगी।

विषय क्र. 07 **बी.ए. पत्रकारिता पंचम सेमेस्टर सत्र 2018–19 के Introduction to Advertising विषय की द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में अनुक्रमांक 16305109 की उत्तर पुस्तिका नहीं मिलने एवं इस संबंध में प्राप्त शिकायत पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रकरण पर गठित तथ्यात्मक जांच समिति की अनुशंसा अनुसार विभागीय जांच समिति गठित की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि जांच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने हेतु कुलपति महोदया स्थायी समिति की ओर से अधिकृत रहेंगी।

विषय क्र. 08 **प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क की परीक्षा आयोजन के संबंध में प्रक्रिया निर्धारण हेतु मार्गदर्शिका के पारूप के संबंध में विद्यापरिषद की स्थायी समिति के सदस्यों से परिसंचरण (By Circulation) द्वारा प्राप्त अनुमोदन की पुष्टि बाबत्।**

स्थायी समिति ने परिसंचरण (By Circulation) द्वारा प्राप्त अनुमोदन की पुष्टि की।

विषय क्र. 09 **बी.टेक प्रथम वर्ष के अध्यापन कार्य हेतु भौतिकी, रसायन एवं गणित विषय के शिक्षकों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किये जाने पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गणित एवं संगणक विज्ञान विद्यापीठ के अधिष्ठाता गणित विभाग से संबंधित प्रकरण का परीक्षण करेंगे एवं विद्यापीठ स्तर पर समस्या निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करेंगे।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विषयांतर्गत कोई भी समस्या विभाग में उत्पन्न होने पर संबंधित विद्यापीठ के अधिष्ठाता समस्या का परीक्षण करेंगे एवं उसके निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।

विषय क्र. 10 **गुरू घासीदास विश्वविद्यालय छात्र परिषद विनियम 2011 (यथा संशोधित एवं पुनरावलोकित 29.01.2019) के प्रावधान 16 अनुसार छात्र परिषद में छात्र प्रतिनिधि नामित किये जाने पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि समिति के समक्ष प्रस्तुत सील बंद सूची का अनुमोदन किया जाय एवं सील बंद लिफाफा अधिष्ठाता छात्रकल्याण को हस्तगत कर दिया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विनियम के पैरा क्रमांक 16.2 एवं 16.3 के प्रावधानों के परिपालन हेतु प्रस्तुत सूची में से प्राविण्यता के आधार पर क्रमशः प्रथम 3 एवं प्रथम 5 विद्यार्थियों को छात्र परिषद में नामित किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार

अ.अ.वि.क्र. 01 **IIQA अनुमोदन हेतु विद्यापरिषद की स्थायी समिति में रखे जाने विषयक।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि आई.क्यू.ए.सी. समिति द्वारा अनुशंसित IIQA का अनुमोदन किया जाय तथा IQAC की बैठक दिनांक 27.01.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र. 02 VRET परीक्षा तिथि के परिवर्तन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्थायी समिति ने विचार किया तथा निर्णय लिया कि VRET प्रवेश परीक्षा का आयोजन दिनांक 08.02.2020 के स्थान पर दिनांक 22.02.2020 को पूर्वान्ह 10:00 बजे आयोजित की जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (प्रभारी) / सचिव **कुलपति / अध्यक्ष**